आपत्ति भाजपा के दबाव के कारण, लाचार प्रशासन की वजह से नाबालिग हुआ परीक्षा से वंचित- अजय अवस्थी

जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने की जा रही कोशिश

नवभारत, शहडोल । जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी ने बाल कल्याण समिति द्वारा जारी नोटिस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि, यह कार्यवाही वास्तविक जनसमस्याओं से ध्यान भटकाने का एक सुनियोजित प्रयास है।

जिलाध्यक्ष श्री अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार जिले में शुद्ध पेयजल संकट, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, अवैध उत्खनन एवं प्रशासनिक लापरवाही जैसे गंभीर मुद्दों को उठाती रही है। इन ज्वलंत समस्याओं का समाधान देने के बजाय विपक्ष की आवाज को दबाने के उद्देश्य से नोटिस जारी करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।

श्री अवस्थी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के दबाव मे प्रशासन ने हठधर्मिता का परिचायक देते हुए नाबालिग को परीक्षा के एक दिन पहले रिहा नहीं किया, जबकी पुलिस विभाग एवं जेल प्रबंधन को इस बात से सबूत सहित, अवगत कराया जा चुका था की नाबालिग की 10 फरवरी को 12 वीं की परीक्षा का पहला पेपर है। लेकिन प्रशासन के द्वेष पूर्ण रवैए के कारण नाबालिग को पेपर के दिन ही रिहा किया गया जिससे समय आभाव के कारण वो परीक्षा देने से वंचित रह गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का प्रत्येक आंदोलन संवैधानिक दायरे में, शांतिपूर्ण एवं जनहित में किया जाता है। यदि प्रशासन के पास जनता की समस्याओं का समाधान नहीं है, तो वह नोटिस और दबाव की राजनीति का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव कानून का सम्मान करती है, लेकिन किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। यदि प्रशासन को वास्तव में चिंता है, तो उसे जिले की मूलभूत समस्याओं पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, न कि जनआंदोलनों को कमजोर करने का प्रयास करना चाहिए।जिलाध्यक्ष ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित के मुद्दों पर पारदर्शी एवं सकारात्मक संवाद स्थापित किया जाए तथा लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। उक्त जानकारी जिला काँग्रेस कमेटी शहडोल के मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला ने प्रदान की।

ननि ने चलाया मच्छर मार अभियान

नवभारत, कटनी। मौसम में आए बदलाव के मद्देनजर मौसमी और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर पालिक निगम कटनी द्वारा सुचारू सफाई व्यवस्था के साथ ही लगातार फागिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस के लिए प्रत्येक जोन के अलग-अलग वार्डो के मुख्य ओर अन्य मार्गों में ई रिक्शा के माध्यम से फागिंग मशीन से रासायनिक धुएं का छिड़काव कार्य लगातार जारी है।

नगर निगम प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी के मार्गदर्शन और क्षेत्रीय स्वच्छता निरीक्षक के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग का विशेष दस्ता निर्धारित कैलेंडर अनुसार शुक्रवार शाम चार वार्डों मदन मोहन चौबे वार्ड, वंशस्वरूप वार्ड, सीएलपी वार्ड, राम निवास सिंह वार्ड पहुंचकर फागिंग मशीन से रासायनिक धुआ छोड़ा गया है।

बीमा कंपनी की मनमानी पर उपभोक्ता आयोग का प्रहार

▶ क्लेम रोका तो भरना होगा पूरा पैसा,ब्याज और हर्जाना भी

नवभारत, शहडोल। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शहडोल ने एक सख्त और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है, जिसमें बीमा कंपनी की लापरवाही और टालमटोल पर सीधा प्रहार किया गया है। आयोग ने 'यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी' को सेवा में गंभीर कमी का दोषी ठहराते हुए आदेश दिया है कि वह परिवादी श्रीमती शालिनी मंगलानी को उनकी दुर्घटनाग्रस्त कार (क्रमांक एमपी18सी6127) की बीमित घोषित मूल्य में से कबाड़ मूल्य घटाकर ?2,30,026 का भुगतान करे, साथ ही 29 नवंबर 2024 से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दे तथा वाद व्यय के रूप में अतिरिक्त 10,000 भी अदा करे।

मामला 17 अप्रैल 2022 का है, जब उमरिया-शहडोल मार्ग पर अचानक सामने आई गाय को बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गया और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद परिवादी ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस और बीमा कंपनी को समय पर सूचना दी, सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए और प्रक्रिया का पालन किया। सर्वेयर की जांच में वाहन को 'टोटल लॉस' घोषित किया गया तथा कार की आईडीवी 2,63,026 निर्धारित थी, फिर भी बीमा कंपनी ने बिना ठोस और वैध कारण बताए क्लेम भुगतान रोक दिया और उपभोक्ता को अनावश्यक रूप से परेशान किया।

आयोग के अध्यक्ष सुदीप कुमार श्रीवास्तव और सदस्य राजेन्द्र द्विवेदी ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जब सर्वेयर रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों से वाहन का टोटल लॉस सिद्ध हो चुका था, तब क्लेम रोकना न केवल अनुचित है बल्कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'सेवा में कमी' की श्रेणी में आता है। आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि बीमा कंपनियां प्रीमियम तो समय पर लेती हैं, लेकिन दावा भुगतान के समय तकनीकी आधारों पर उपभोक्ताओं को उलझाना कानून की मंशा के विपरीत है। यह निर्णय केवल एक उपभोक्ता की जीत नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए सशक्त संदेश है जो बीमा कंपनियों की मनमानी के कारण वर्षों तक भटकते रहते हैं। आयोग का यह स्पष्ट संदेश है कि यदि उपभोक्ता ने नियमों का पालन किया है और दावा वैध है, तो बीमा कंपनी अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकतीकृअन्यथा उसे मूल राशि के साथ ब्याज और हर्जाना भी चुकाना पड़ेगा। उक्त प्रकरण में परिवादी शालिनी मंगलानी की ओर से अधिवक्ता ज्ञानेंद्र मिश्रा एवं उनकी टीम ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप यह निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में आया।

अतिथि विद्वान सुदीप्त चौधरी का आमंत्रण निरस्त

नवभारत, गोहपारू । शासकीय महाविद्यालय गोहपारू में पदस्थ अतिथि विद्वान सुदीप्त चौधरी पर सेवा नियमों के उल्लंघन का गंभीर आरोप सही पाया गया है। जानकारी के अनुसार, सुदीप्त चौधरी शासकीय महाविद्यालय गोहपारू में नौकरी करते हुए स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, कल्याणपुर से बी.एड. की पढ़ाई भी कर रहे थे और इस दौरान नियमित रूप से वेतन भी प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार वे एक साथ दो जिम्मेदारियों में संलिप्त पाए गए।

मामले की जानकारी मिलते ही शासकीय महाविद्यालय गोहपारू के प्राचार्य ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, कल्याणपुर को भी पत्र लिखा। साथ ही सुदीप्त चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूरे प्रकरण की सूचना उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को भी भेजी गई थी, महाविद्यालय के विद्यार्थियों का कहना है कि संबंधित अतिथि विद्वान समय पर महाविद्यालय नहीं आते थे और नियमित रूप से कक्षाएं भी नहीं लेते थे। छात्रों के अनुसार, वे अक्सर महाविद्यालय के स्टाफके खिलाफविद्यार्थियों को भड़काने का प्रयास करते था, जिससे संस्थान का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा था। बताया जा रहा है कि सुदीप्त चौधरी शासन के सेवा नियमों के प्रतिकूल कार्य किया है। प्राचार्य द्वारा संबंधित से जानकारी मांगे जाने पर प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगने लगा था सुदीप्त चौधरी, जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है । महाविद्यालय के कर्मचारियों एवं प्राचार्य के खिलाफछात्राओं से दवाब बना कर झूठी शिकायतें कराना, जैसे कई गम्भीर मामले में संलिप्त था सुदीप्त चौधुरी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके थे। अंतत: सुदीप्त चौधुरी को महाविद्यालय से बाहर कर उसका आमंत्रण निरस्त किया गया।

इंदिरा गांधी गृहविज्ञान महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला

नवभारत, शहडोल। शासकीय इंदिरा गांधी गृहविज्ञान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला टास्क फोर्स की टीम द्वारा प्राचार्य एवं पूर्व कुलपति डॉ. मुकेश कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में 17 फरवरी 2026 को मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय से डॉ. राहुल मिश्रा (सहायक प्राध्यापक, मनोरोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज शहडोल) मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। डॉ. मिश्रा ने तनाव, चिंता, अवसाद तथा पढ़ाई से जुड़े दबाव जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने

कहा कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, और आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी का संकेत है। उन्होंने विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच, नियमित दिनचर्या, योग एवं ध्यान जैसी उपयोगी बातों की जानकारी दी तथा जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करने की प्रेरणा दी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मुकेश कुमार तिवारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के मानसिक एवं भावनात्मक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन नोडल अधिकारी डॉ. मोनिका मनहास ने किया। समिति सदस्य डॉ. सरोज बाला श्याम एवं कल्याणी राउत सहित वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. सुनील कुमार सक्सेना, डॉ. शमसुल हक, आर. एस. पासी, डॉ. सरिता परिहार एवं डॉ. आभा द्विवेदी उपस्थित रहे। अंत में डॉ. शमसुल हक द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और विद्यार्थियों ने इसे अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक बताया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत आयोजित किया गया प्रशिक्षण

नवभारत, शहडोल । मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, विशेषकर सामुदायिक वन अधिकारों तथा धारा 3(1)(प) के अंतर्गत उल्लिखित सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान किए जाने के विषय में जिले में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रथम दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले की उपखण्ड स्तरीय अधिकारियो में एसडीएम, उप वन मंडलाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के सीईओ जनपद पंचायत, बीईओ, वन अधिकार समितियों के शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों के लिए आयोजित किया गया। जिसमें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, प्रक्रियाओं एवं ग्राम सभा की भूमिका पर विस्तारपूर्वक जानकारी राज्य स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स राहुल श्रीवास्तव, हरी मरावी एवं चरण परते द्वारा प्रदान की गई।प्रशिक्षण के दौरान जिले के ग्रामों में सामुदायिक वन अधिकारों के प्रबंधन एवं संरक्षण के संबंध में ग्राम सभा द्वारा गठित वन अधिकार समिति एवं वन प्रबंधन समिति की भूमिका स्पष्ट की गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि किस प्रकार ग्राम सभाओं को प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप वन संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्जीवन (रिजनरेशन) सुनिश्चित किया जा सकता है।साथ ही औषधीय पौधों, लघु वनोपज, गोंद उत्पाद तथा बांस (बाम्बू) आदि के संरक्षण, संवर्धन एवं विक्रय की प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) काजोल सिंह, अमृता गर्ग, भागीरथी लहरे, दीपक मंडावी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनंद राय सिंहा, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पाण्डेय, अशासकीय एवं शासकीय समितियो के सदस्य उपस्थित रहें।

दस्तक अभियान का द्वितीय चरण 19 तक

नवभारत, शहडोल । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि दस्तक अभियान द्वितीय चरण का अभियान 17 फरवरी से 19 मार्च तक 2026 तक चलाया जा रहा है। उन्होंने ने बताया कि ड्यू लिस्ट में हितग्राहियों की संख्या के आधार पर दस्तक अभियान द्वितीय चरण की व्यवस्था केन्द्रवार माइक्रोप्लानिंग जिला टीकाकरण के निर्देशन में तैयार की गयी है। माइकोप्लानिंग नियमित व्ही. एच.एन.डी. की तिथियों के आधार पर मंगलवार नियत की गयी है तथा अगले दिवस माप-अप दिवस के रूप में मैदानी कार्यकर्ता जिसमे ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता, एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता शामिल है। घर-घर दस्तक देकर विटामिन-ए की खुराक एवं एनीमिक बच्चों के हीमोग्लोबिन जाँच, फालो-अप एवं उपचार प्रबंधन करेंगे। इस अभियान के अन्तर्गत प्रथम दिन व्ही.एच.एन.डी. दिवस के दिन आँगनवाडी केन्द्र में एनीमिक 06 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों की हीमोग्लोबीन जाँच, फालो-अप एवं प्रबंधन किया जाना है एवं 09 माह 05 वर्ष के 104429 बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाना है। इस अभियान में सेवाप्रदाता महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी जो व्ही.एच.एन. डी. दिवस के दिन आंगनवाडी केन्द्रों में टीकाकरण सत्र में बच्चों को विटामीन-ए की खुराक पिलायेंगी। हीमोग्लोबीन की जाँच महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा किया गया जायेगा।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि विटामीन-ए कमी के कारण प्रमुख रूप से मां का पहला गाढा दूध न पिलाना, पहले छ: महिने स्तन पान न कराना, 06 महा पश्चात् स्तनपान के साथ-साथ उपरी आहर शुरू न करना तथा छ: माह के बाद पूर्ण रूप से स्तनपान बन्द कद देना है तथा बच्चों को खिलाये जाने वाले आहार मे विटामीन ए युक्त भोजन का न होना जिसके फ्लस्वरूप खसरा, दस्त जैसे संक्रमण बार-बार होना। बच्चों में रतौंधी रोगो की क्षमता से लड़ने की कमी संक्रमणजनित एनीमिया मे बढोतरी एवं बच्चों में समुचित वृद्धि न होना है। इसी प्रकार बाल्यकालीन एनीमिया के मुख्य कारण गर्भावस्था मे मां के द्वारा आयरन की गोली का सेवन न करना, जिससे नवजात शिशु में आयरन भण्डारण न होना, बच्चे को पहले 06 माह में मां का दूध न पिलाना, आहार में लौह तत्व वाले पदार्थ जैसे हरे पत्तेदार सब्जी, अंकुरित दाले, अंडा, मछली, कलेजी एवं खट्टे फ्ल आदि न लेना, साफ-सफाई की कमी व पेट में बार-बार मलेरिया होना है। इसके दुसपरिणाम स्वरूप बच्चें मे चिडचिडापन, भूख में कमी, बच्चे का जल्दी थकना, सांस फूलना, आम बीमारी जैसे दस्त, उल्टी, सर्दी, खांसी, फ्रेडे-फुन्सी आदि बार-बार होना, उम्र के अनुसार शारीरिक व मानसिक विकास न होना, शरीर में सूजन आ जाती है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने जिले के नागरिको से अपील की है कि दस्तक अभियान अपना सहयोग एवं सहभागिता कर अभियान को सफ्ल बनाये।

एलएंडटी श्रमिकों का फूटा गुस्सा, ग्रेड सेपरेटर का काम ठप

नवभारत, कटनी। देश के सबसे लंबे रेलवे ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही प्रतिष्ठित कंपनी एलएंडटी (L&T) के श्रमिकों का धैर्य अब जवाब दे गया है। पिछले कई महीनों से वेतन और बोनस की बाट जोह रहे 100 से अधिक श्रमिकों ने सोमवार से काम पूरी तरह बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। श्रमिकों ने एनकेजे (NKJ) में एलएंडटी कम्पनी कार्यालय के सामने डेरा डाल दिया है, जिससे प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह रुक गया है।

क्यों भड़का श्रमिकों का आक्रोश- श्रमिकों का आरोप है कि वे साल 2021 से इस प्रोजेक्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कंपनी उनके वैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है।

प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों की लंबी सूची साझा की - लंबित वेतन और बोनस: श्रमिकों का दावा है कि पिछले 8 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है और 5 साल का बोनस भी बकाया है। न्यूनतम सुविधाओं का अभाव: भविष्य निधि (PF), मेडिकल सुविधा और सुरक्षा उपकरणों (Safety Gear) जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं की जा रही हैं।

ओवरटाइम का भुगतान नहीं-श्रमिकों से प्रतिदिन औसतन 4 घंटे अतिरिक्त काम कराया जाता है, लेकिन इसका कोई मेहनताना नहीं दिया जा रहा। वैधानिक देयताएं: नोटिस पे, टीए-डीए और हाइट अलाउंस का भुगतान भी लंबे समय से लटका हुआ है।

प्रोजेक्ट पर संकट: 1800 करोड़ की लागत, 17 किमी लंबा ट्रैक प्रभावित-इस हड़ताल का सीधा असर रेलवे के महत्वाकांक्षी ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट पर पड़ रहा है। झलवारा से मझगवां तक बन रहे इस 33.40 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट की लागत पहले ही ?1200 करोड़ से बढ़कर 1800 करोड़ तक पहुँच चुकी है। 17.52 किलोमीटर लंबे डाउन ट्रैक पर काम रुकने से रेलवे को प्रतिदिन लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है।

चेतावनी: 'भुगतान नहीं, तो काम नहीं'-श्रमिक नेताओ ने दो-टूक शब्दों में कहा है कि जब तक उनके खातों में बकाया राशि नहीं आ जाती, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय अधिकारियों और ठेकेदारों के खोखले आश्वासनों से अब समाधान नहीं होगा।

30 मीटर नीचे 'जल सुरंग' : देश की सबसे लंबी पानी टनल से तीन जिलों की प्यास बुझेगी

नवभारत, कटनी। मध्यप्रदेश के जल इतिहास में नया कीर्तिमान जुड़ने जा रहा है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) द्वारा कटनी जिले के स्लीमनाबाद में निर्मित की जा रही देश की सबसे लंबी जल सुरंग अब अंतिम चरण में है। करीब 30 मीटर जमीन के नीचे बनाई जा रही 12 किलोमीटर लंबी यह टनल जबलपुर (बरगी) से नर्मदा जल को सीधे रीवा तक पहुंचाएगी। परियोजना में अब केवल लगभग 400 मीटर खुदाई शेष है और लक्ष्य अप्रैल 2026 तक कार्य पूर्ण करने का रखा गया है।

टनल पूरी होते ही जबलपुर, कटनी और सतना जिलों की करीब 2 लाख 45 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना बरगी व्यपवर्तन योजना का अहम हिस्सा है। दायीं तट मुख्य नहर से नर्मदा का पानी प्राकृतिक ढाल (ग्रेविटी सिस्टम) से आगे बढ़ेगा, जिससे अतिरिक्त पंपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यहां 8 से 10 मीटर खुदाई पर ही पानी निकलने लगता है, जबकि टनल की गहराई 30 मीटर है। इसके साथ ही सिंकहोल (अचानक जमीन धंसने) की समस्या और कोविड काल के कारण भी कार्य प्रभावित हुआ। एनवीडीए के अनुसार वर्ष 2021 के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई है।

सुरक्षा के लिए टनल के ऊपर 20 मीटर चौड़ी भूमि पट्टी अस्थायी रूप से अधिग्रहित की गई है। किसानों को तीन फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है और जहां भी जमीन धंसने का खतरा होता है, वहां तत्काल भराव कर स्थिति नियंत्रित की जाती है।

हर मीटर खुदाई पर भारी खर्च

टनल निर्माण में लगी टीबीएम मशीनों के कटर हेड में 56 कटर लगे हैं। कठोर चट्टानों के कारण एक से डेढ़ मीटर खुदाई में ही 5 से 6 कटर टूट जाते हैं, जिससे करीब 10 लाख रुपये तक का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है। एनवीडीए के कार्यपालन यंत्री सहज श्रीवास्तव ने बताया कि स्लीमनाबाद में टनल निर्माण अंतिम चरण में है। लगभग 400 मीटर कार्य शेष है, जिसे अप्रैल 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद चार जिलों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का सीधा लाभ मिलेगा।

बाणसागर क्षेत्र की समस्या का समाधान

सतना और रीवा क्षेत्र में बाणसागर परियोजना होने के बावजूद कम जलस्तर के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता। नर्मदा का ऊंचा जलस्तर इस समस्या का स्थायी समाधान बनेगा। फिलहाल जबलपुर जिले के सिहोरा सहित अन्य क्षेत्रों में इसी योजना से लगभग 60 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है।

पहाड़ चीरकर बन रही सुरंग- स्लीमनाबाद के सलैया फाटक और खिरहनी क्षेत्र में कठोर चट्टानों को काटकर यह सुरंग बनाई जा रही है। अमेरिका और जर्मनी से लाई गई दो अत्याधुनिक टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन) से खुदाई की जा रही है। डाउन स्ट्रीम में 5500 मीटर और अप स्ट्रीम में 5100 मीटर खुदाई पूरी हो चुकी है। अब मात्र 400 मीटर का काम बाकी है।